मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांकः 05 जनवरी, 2018
समयः मध्याहन् 12:00 बजे।
स्थानः– कार्यालय कक्ष, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की प्रथम बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2017 को उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही :–

क्र.स.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	श्री राजीव कुमार	मुख्य सचिव	उ.प्र. शासन।
2.	श्री चंचल कुमार तिवारी	अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
3.	श्री अनुराग श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
4.	श्री ओमप्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव	वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
5.	श्री आर.एन.एस. यादव	विशेष सचिव	नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
6.	श्री एस. राजू लिंगम	विशेष सचिव	बेसिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन।
7.	श्री जे.बी. सिंह	विशेष सचिव	पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
8.	श्री आकाश दीप	निदेशक	पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
9.	श्रीमती प्रवीणा चौधरी	उपनिदेशक(पं0)	पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बैठक में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिए गए–

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु	विवरण	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी की द्वारा लिये गये निर्णय
1.	एजेण्डा बिन्दु–1	**योजना का परिचय एवं क्रियान्वयन की रणनीति–** **1.1– योजना का परिचय** – प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने हेतु वर्ष 2017–18 से "मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना" के नाम से नई योजना संचालित करने का निर्णय शासन के पत्र संख्या–81/2017/2170/ 33–3–2017–212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा लिया गया। **उद्देश्य–** ● पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। ● पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्सहित किया जाना। ● उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना। ● ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना। **1.2 क्रियान्वयन की रणनीति–** ● राज्य स्तरीय समिति:–नीति निर्धारण करना, बजट की तैयारी, दिशा निर्देश जारी करना। ● सॉफ्टवेयर का विकास एवं परीक्षण। ● प्रश्नावली का निर्माण। ● जनपदों का प्रशिक्षण एवं ग्राम पंचायतों को आवेदन की जानकारी उपलब्ध कराना। ● ग्राम पंचायत के नामंकन को स्व–मूल्यांकन करके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाना। ● जनपद स्तरीय समिति के द्वारा मूल्यांकन	1. माननीय समिति संज्ञानित हुई।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>का आंकलन और विश्लेषण करते हुये ग्राम पंचायतों को नामित करना।
• निष्पक्ष स्थलीय सत्यापन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फील्ड वेरिफिकेशन टीम का गठन।
• फील्ड वेरिफिकेशनः–फील्ड वेरिफिकेशन टीम द्वारा समस्त अभिलेखों का सत्यापन के उपरान्त राज्य स्तरीय समिति को अभिलेख प्रेषित किया जाना।
• राज्य स्तरीय समितिः–पुरस्कार घोषित करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति।
• राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा।
मा0 समिति के अवगतार्थ प्रस्तुत</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>एजेण्डा बिन्दु–2</td>
<td><u>योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु विषय/ क्षेत्र एवं अधिमान।</u>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विषय</th><th>अधिमान (पूर्णांक–100)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली
ग्राम पंचायत की बैठक
ग्राम सभा की बैठक
ग्राम पंचायत समितियों की बैठक</td><td>15 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>2</td><td>स्वच्छता
खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत
तरल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन</td><td>20 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ग्राम पंचायत विकास योजना
योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक का आयोजन
योजना निर्माण के सभी चरणों का अनुपालन जैसे सहभागी नियोजन, समस्याओं का प्राथमिकीकरण आदि।
योजना का प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड</td><td>15 प्रतिशत</td></tr>
</table></td>
<td>1.समिति संज्ञानित हुई एवं चर्चा उपरान्त समिति द्वारा पुरस्कार वितरण हेतु परिणाम उन्मुख निम्न बिन्दुओं पर प्रश्नावली में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अधिमान दिये जाने, जिसमें ग्राम पंचायत में सोशल आडिट एवं लेखा परीक्षा पर अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत सीमा तक अधिमान तय किये जाने का निर्णय लिया गया :–
• ग्राम पंचायतो के कार्यो का सोशल आडिट।
• ग्राम पंचायतों के गत वित्तीय वर्ष का लेखा परिक्षण।
(उक्त दो बिन्दुओं पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिमान में से 25 प्रतिशत अधिमान दिये जाने का निर्णय लेते हुए कुल 50 प्रलिया गया।)
• जी.पी.डी.पी. वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत गतवर्ष में कराये गये कार्यो के सापेक्ष व्यय एवं चालू वित्तीय वर्ष में योजना में लिए गये कार्यो को वाल पेटिंग/फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किये जाने की स्थिति।
• ग्राम पंचायत में कुपोषण,</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>किया जाना।
ग्राम पंचायत में वॉल–पेन्टिंग एवं फ्लैक्स बैनर की स्थापना।</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>विकास कार्य/नागरिक सेवायें
पेयजल व्यवस्था–हैण्डपम्प रीबोर की संख्या
स्ट्रीट लाइट व्यवस्था
स्वच्छ आंगनबाडी
स्वच्छ विद्यालय
आंतरिक गलियों</td><td>30 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ई–गर्वनेन्स
एक्शन सॉफ्ट/प्रिया सॉफ्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना में किये गये कार्यों के सापेक्ष निष्पादन एवं व्यय की फीडिंग।
प्रिया सॉफ्ट पर वर्ष 2017–18 की मासिक पुस्तिका बन्द करने की स्थिति।
एम–एसेट पर ग्राम पंचायत में उपस्थित चल/अचल सम्पत्तियों की जियो–टैगिंग।
ई–डिस्ट्रिक पर निस्तारण की स्थिति।</td><td>20 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td>100 प्रतिशत</td></tr>
</table>
प्रस्ताव– 1. ग्राम पंचायतों के चयन के सम्बन्ध में प्रश्नावली तैयार किये जाने एवं सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने एवं फील्ड वैरिफिकेशन हेतु निर्णय के लिए निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया जाना।
मा0 समिति के अवगतार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत
</td>
<td>निर्धनता एवं कर्ज से उत्पन्न होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान द्वारा किये गये प्रयास।
• ग्राम पंचायतों द्वारा स्थापित पाइप वाटर सप्लाई स्कीम का सफल संचालन।
• ग्राम पंचायतों में सक्रिय स्वयं सहायता समूह की स्थिति।
• ग्राम पंचायत में पेंशन, आवास एवं अन्य सरकारी सेवाओं के पात्र लाभार्थियों का चयन व उन्हें लाभान्वित किये जाने की स्थिति।
उक्त के क्रम में समिति द्वारा प्रश्नावली तैयार किये जाने एवं सॉफ्टवेयर विकसित किये जाने एवं फील्ड वैरिफिकेशन हेतु निर्णय के लिए निदेशक, पंचायती राज को अधिकृत किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>एजेण्डा बिन्दु–3</td>
<td>विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप पुरस्कार धनराशि की व्यवस्था पर चर्चा।</td>
<td>1. समिति संज्ञानित हुई एवं समिति द्वारा योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष 2017–18 में</td>
</tr>
</table>

मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा–

मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप धनराशि रू0 85.13 लाख की एस.एन.डी. का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से 03 ग्राम पंचायतों (कुल 2,463 ग्राम पंचायत) का चयन एवं पुरस्कृत धनराशि असेसमेन्ट के पश्चात् निम्न प्रकार से दिये जाने का प्रस्ताव था:–

विवरण	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	रू0– 5 लाख
द्वितीय पुरस्कार	रू0– 3 लाख
तृतीय पुरस्कार	रू0– 2 लाख

प्रस्ताव–1. विभाग को उपलब्ध बजट के अनुसार की गई व्यवस्था–

क्र0सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	आय–व्ययक में अनुमानित धनराशि रू. लाख में।
राजस्व मद			
1	14	21– मुख्यमंत्री पंचायती प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	
2		• पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायत की पुरस्कार धनराशि (प्रत्येक विकास खण्ड से 03 ग्राम पंचायत) प्रथम पुरस्कार @ रू0 81000 हजार प्रति ग्राम पंचायत द्वितीय पुरस्कार @ रू0 55000 हजार प्रति ग्राम पंचायत तृतीय पुरस्कार @ रू0 31000 हजार प्रति	1371.07

2. प्रत्येक जनपद से अधिकतम 05 ग्राम पंचायतें (जिसमें किसी विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायत से अधिक न हो) को निम्नवत् पुरस्कृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

विवरण	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	रू0– 6 लाख
द्वितीय पुरस्कार	रू0– 5 लाख
तृतीय पुरस्कार	रू0– 3 लाख
चतुर्थ पुरस्कार	रू0– 2.5 लाख
पंचम पुरस्कार	रू0– 1.5 लाख

2. समिति ने भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार योजना अथवा नाना जी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजनान्तर्गत पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. समिति ने इस प्रकार कुल रू0 13.50 करोड़ की धनराशि पुरस्कार वितरण में एवं शेष रू0 1.5 करोड़ धनराशि को प्रशासनिक मद में आवंटित किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए व्यय हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

		ग्राम पंचायत	
3		• राज्य / मण्डल स्तर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन।	90.00
4		• कार्यक्रम प्रबन्धन	38.93
कुल योग			**1500.00**

उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव–2. मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप पुरस्कार वितरण हेतु नई मांग में प्रस्तावित धनराशि रू0 85.13 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0 70.13 करोड़ की अतिरिक्त बजट व्यवस्था किया जाना।

प्रस्ताव–3. स्वीकृत बजट के अनुसार प्रदेश के सभी 821 विकास खण्ड में उत्कृष्ठ कार्य करने वाली 01–01 ग्राम पंचायत को धनराशि रू0 1.66 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 13.63 करोड़ की धनराशि पुरस्कार वितरण में एवं शेष धनराशि रू0 1.37 करोड़ प्रशासनिक मद में आवंटित किया जाए।

प्रस्ताव–4. स्वीकृत बजट के अनुसार प्रत्येक जनपद से उत्कृष्ठ कार्य करने वाली 03 ग्राम पंचायतें को निम्नानुसार भी पुरस्कृत किया जाना।

विवरण	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	रू0– 8 लाख
द्वितीय पुरस्कार	रू0– 6 लाख
तृतीय पुरस्कार	रू0– 4 लाख

इस प्रकार कुल रू0 13.50 करोड़ की धनराशि पुरस्कार वितरण में एवं शेष रू0 1.5 करोड़ धनराशि को प्रशासनिक मद में आवंटित किया जाए।

प्रस्ताव मा0 समिति के अवगतार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

4	एजेण्डा बिन्दु–4	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	समिति द्वारा राज्य परफारमेन्स समिति के नामित सदस्यों हेतु निम्नलिखित को चयन किया गया :– 1. जनपद लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी एवं जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी । 2. ग्राम प्रधान हसुडी औसानपुर जनपद सिद्धार्थनगर,

			ग्राम प्रधान उतरधौना, जनपद लखनऊ, ग्राम प्रधान कोटवाधाम, दरियाबाद जनपद बाराबंकी एवं ग्राम प्रधान नन्दुवाला, जनपद मुरादाबाद। 3. स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में सहभागी शिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ के निदेशक/प्रतिनिधि।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज,उ.प्र.शासन।
/उपाध्यक्ष,राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी,
मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज विभाग, अनुभाग–
संख्या–142/33–3/2017–212/2017
दिनांक 31 जनवरी, 2018

संख्या व दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त सदस्यगण, राज्य परफारमेंस असेसमेंट कमेटी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
3. गार्ड फाइल।

J.B. Singh
(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।